भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
http://prgi.gov.in

दिनांक: 25 मार्च, 2026

2026 की परामर्शिका सं० 07

विषय: प्रेस सेवा पोर्टल पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक विवरण को प्रस्तुत करने हेतु ई-फाइलिंग विंडो की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 के उपबंधों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का प्रयोग करते हुए, यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु 01 अप्रैल, 2026 की प्रभावी तिथि से प्रेस सेवा पोर्टल पर ई-फाइलिंग विंडो उपलब्ध हो जाएगी।

2. सभी नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशकों से अनुरोध है कि वे उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप, प्रेस सेवा पोर्टल पर अपनी संगत लेखाओं में ऑनलाइन लॉगिंग के मोड में ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करें। इस संबंध में किसी भौतिक प्रस्तुति, डाक या ऑफलाइन संप्रेषण को इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा या प्राप्ति रसीद नहीं दी जाएगी।

3. प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 की **धारा 12** के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक प्रकाशक से अपेक्षित है कि वह वार्षिक विवरण पूर्ण एवं सटीक जानकारी सहित विहित प्रपत्र एवं रीति से प्रस्तुत करे।

4. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक विवरण **31 मई 2026** को या उससे पहले या समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा यथा विस्तारित समयावधि के भीतर फाइल किया जाएगा।

5. वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते समय, प्रकाशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

- प्रस्तुत किए गए सभी तथ्य सही, पूर्ण तथा कार्यालयी रिकॉर्ड के अनुरूप हैं।
- विवरण को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के पूर्व इसका विधिवत सत्यापन किया गया है, तथा
- सहायक तथ्यगत विवरण, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, सटीक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं।

6. यह उल्लेखनीय है कि विहित समयावधि के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं करने या अपूर्ण अथवा असत्य सूचना प्रस्तुत करने पर प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 की **धारा 11 (ग), 11 (घ), 14 (ख) और धारा 19 (i)** सहित इस अधिनियम के संगत उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वार्षिक विवरण फाइल करने के पश्चात कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर, प्रकाशक हेल्पडेस्क (011-24320025) अथवा ईमेल: it-helpdesk.rni@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पामुला रत्नाकर)
उप प्रेस महापंजीयक